भ्रष्टाचार के आरोपों पर किरोड़ी और जोशी आमने-सामने

महेश जोशी बोले, ''जो टेंडर निरस्त कर चुके, उन्हें लेकर आरोप लगा रहे हैं, किरोड़ी वह टेंडर किसी अन्य पार्टी को दिलाना चाहते थे''

जयपुर (का.प्र.)। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीणा और राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी आमने-सामने आ गए हैं। एक दिन पहले जहां किरोड़ी लाल मीणा ने महेश जोशी पर 20 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था।

वहीं आरोपों का जवाब देते हुए महेश जोशी ने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा या तो उन फर्मों को काम दिलाना चाहते हैं, जिनके टेंडर हमने निरस्त कर दिए, या अब होने वाले टेंडरों में किसी को काम दिलाना चाहते हैं। इसी के साथ महेश जोशी ने यह भी कहा कि मैं मानहानि के मामले को लेकर विचार कर रहा हूं। उधर महेश जोशी के आरोपों को लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने भी जवाब दिया और कहा कि यदि आरोप साबित हो गए तो राजनीति से सन्यास ले लूंगा।

डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने सोमवार को जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) योजना के तहत 20 हजार करोड़ के टेंडर देने में मंत्री महेश जोशी और विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। किरोड़ीलाल मीणा इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाने अशोक नगर थाने भी पहुंचे। इस दौरान जलदाय मंत्री महेश जोशी ने आरोपों को

- **किरोड़ी ने पलटवार कर कहा, कि ''मैं किसी को टेंडर दिलाना चाहता था, तो जांच करें, जांच सही साबित हुई तो राजनीति छोड़ दूंगा''**

नकारते हुए इसे सांसद किरोड़ी मीणा की झूठे आरोप लगाने की फितरत बताया। उन्होंने मीणा पर उन्हें पॉलिटिकल ब्लैकमेल कर दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही यह भी कहा कि वह इस मामले में मानहानि का मामला दर्ज कराने के लिए राय ले रहे है।

किरोड़ी लाल मीणा की एफआईआर दर्ज नहीं होने के मामले में महेश जोशी ने कहा कि जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति होता है, उसमें भी गंभीरता होनी चाहिए कि वो क्या आरोप लगा रहे हैं। जोशी ने कहा कि जल जीवन मिशन में टेंडर तय करने की प्रक्रिया में मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती। आज केंद्र सरकार में कोई गलत काम हो जाए और मैं किसी केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगाऊं और जुबानी तौर पर आरोप लेकर थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचूं तो क्या थाने वाले यह नहीं सोचेंगे कि एफआईआर दर्ज करें या नहीं। जोशी ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने लायक हैं, तो दर्ज करें और जांच करें, हम किसी जांच से नहीं डर रहे। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की जांच जल जीवन मिशन के काम की हो तो हमे स्वीकार्य है। हर जांच में सहयोग करने को हम तैयार हैं लेकिन कोई तथ्य तो होने चाहिए।

जोशी ने कहा कि जिस टेंडर प्रक्रिया की वह बात कर रहे हैं, मेरी और एसीएस की उसमें कोई भूमिका ही नहीं है। टेंडर भी विभिन्न जांच प्रक्रिया के बाद ही फाइनल होता है। फिर भी कोई कमी रहती है तो जांच होती है। अगर कोई हमें शिकायत देगा तो हम फिर भी जांच करवाने को तैयार हैं। जोशी बोले कि 20 हजार करोड़ के जो टेंडर देने थे, वह टेंडर हम जनवरी में ही निरस्त कर चुके हैं। अब किरोड़ी लाल मीणा आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब या तो यह उनको यह सुहा नहीं रहा है कि टेंडर क्यों निरस्त किए गए, या फिर अब जो टेंडर हो रहे हैं, उसके लिए वह दबाव बनाना चाहते हैं। उनके मन में कोई न कोई बात जरूर है। जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी है। केंद्र का ही जल जीवन मिशन है और एनजेजेएम ने कोई आपत्ति नहीं की और किरोड़ी लाल मीणा उस पर आपत्ति कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि सांसद मीणा अब अपनी ही केंद्र सरकार के खिलाफ जा रहे हैं।

जोशी ने कहा कि यह किरोड़ीलाल मीणा की प्रवृत्ति है कि वह किसी की नहीं सुनते। जो उनके स्वार्थों की पूर्ति करे, उस बात को ही वह हमेशा प्राथमिकता देते हैं। जोशी ने कहा कि जब 20 हजार करोड़ का टेंडर हमने दिया ही नहीं और अब तक कुल साढ़े 16 हजार करोड़ के ही काम हम करवाए हैं, तो फिर आरोप किस बात के लग रहे हैं। या तो किरोड़ी लाल मीणा उन फर्मों काम दिलवाना चाहते थे, जिनके टेंडर हमने निरस्त किए या फिर वह अब दोबारा आने वाले टेंडर में किसी को काम किसी को दिलवाना चाहते हैं। इधर जोशी की ओर से टेंडर दिलवाने के आरोप लगने के बाद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि अगर महेश जोशी यह कहते हैं कि मैं किसी को टेंडर दिलाना चाहता हूं और उसके लिए दबाव बना रहा हूं तो उसकी जांच हो। जांच में अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं राजनीति से संयास ले लूंगा। मीणा ने कहा कि हमने तथ्यों के साथ में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उसकी जांच निष्पक्षता के साथ करा लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

सांसद किरोड़ी अशोक नगर थाने के बाहर धरने पर बैठे

जल जीवन मिशन के कथित घोटाले की एफ.आई.आर. दर्ज कराने थाने पहुंचे थे

जयपुर (कासं)। राजस्थान में जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) प्रोजेक्ट में कथित फर्जीवाड़े और घोटाले के आरोपों की जांच की मांग को लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने सचिवालय में पहले एडिशनल सीवीसी और उसके बाद एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर मंगलवार को अशोक नगर थाने पहुंचकर शिकायत दी। शिकायतकर्ता टी.एन. शर्मा को साथ लेकर डॉ. किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे। उन्होंने 20 हजार करोड़ और 900 करोड़ के कामों में घोटाले के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की।

राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार को सचिवालय पहुंचकर एडिशनल सीवीसी सोविला माथुर को जलदाय मंत्री और आई.ए.एस. के खिलाफ शिकायत दी।

सांसद मीणा के अशोक नगर थाने में पहुंचने के बाद जब एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई तो भाजपा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी अशोक नगर थाने पहुंच गए। सांसद किरोड़ी लाल मीणा थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इस बीच पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के बुलावे पर सांसद किरोड़ीलाल वार्ता के लिए पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे, जहां वार्ता विफल होने के बाद पुनः अशोक नगर थाने पहुंचकर धरना शुरू कर दिया, जो कि देर रात तक जारी रहा।

किरोड़ीलाल ने कहा कि केन्द्र सरकार के जल जीवन मिशन योजना में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार के खिलाफ आज राजस्थान सचिवालय में पहुंचकर सीवीसी की एडिशनल सीवीसी सोविला माथुर को जलदाय मंत्री और आईएएस के खिलाफ शिकायत दी। इसके बाद जल जीवन मिशन के टेंडरों में हुए फर्जीवाड़े को लेकर एक शिकायत अशोक नगर थानाधिकारी को भी दी है। उम्मीद है मुकदमा दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अन्यथा आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 के सेक्शन-17 का उल्लंघन किया है, सेक्शन-41 में लिखा है अगर इस क़ानून का उल्लंघन होता है तो 6 महीने से लेकर 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। गहलोत सरकार ने इस आर.टी.पी.पी. एक्ट को

- **अशोक नगर पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की तो नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ भी थाने पहुंचे**

बनाया और इस एक्ट की गहलोत सरकार ही धज्जियां उडाकर जल जीवन मिशन में टेंडरों में घपला कर करोड़ों रुपये निगल रही है।

सांसद किरोड़ी मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री बार-बार कहते हैं, हमारे यहां हर एफ.आई.आर दर्ज होती है। मैं केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन मं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 के सेक्शन-17 के उल्लंघन का मामला दर्ज कराने अशोक नगर थाने आया था, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो अब धरने पर बैठा हूं। सांसद मीणा ने थाने पर धरना दे दिया, तो पुलिस अफसर उनसे बातचीत करने पहुंचे। मीडिया से रूबरू होकर सांसद मीणा ने कहा कि फेक और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट लेकर 900 करोड़ रुपये के काम ले लिए गए, जो डॉक्यूमेंट हमने मीडिया के सामने कल ही रखे थे। एक दूसरा मामला यह है कि राजस्थान के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने डायरेक्शन दिए थे कि टेंडर्स में पारदर्शिता बनी रहे और आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 का उल्लंघन नहीं हो। इन आदेश के बाद भी पीएचडी डिपार्टमेंट ने इसका वॉयलेशन कर दिया। इससे 30 से 40 परसेंट तक ठेकेदारों की पूलिंग हो गई। जयपुर के प्रताप नगर सांगरिया निवासी शिकायतकर्ता एडवोकेट टी.एन. शर्मा की ओर से अशोक नगर थाने में दी गई, शिकायत में ये लिखा गया है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर टेंडर लेने के मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। दो फर्मों को टेंडर दिए गए। इनमें श्री श्याम टयूबवेल कम्पनी शाहपुरा जयपुर और श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी शाहपूरा जयपुर को कार्यादेश दिए गए। इन टेंडर्स में कार्यादेश प्राप्त करने के लिए दोनों फर्मों ने भारत सरकार के उपक्रम इरकोन इंटरनेशनल लिमिटेड को पूरी तरह फर्जी वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट पेश किए। दस्तावेजों की रूटीन जांच के तहत पीएचईडी के अधिकारी ने डाक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को एक मेल 21 मार्च को किया, जिसके जवाब में 22 मार्च को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने पीएचईडी डिपार्टमेंट को मेल भेजकर बताया कि पेश किए गए सर्टिफिकेट पूरी तरह फर्जी हैं।

राज्यपाल ने किया पश्चिम बंगाल मूल के लोगों से संवाद

जयपुर (कासं)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पश्चिम बंगाल राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मंगलवार को राजभवन में पश्चिम बंगाल मूल के लोगों से संवाद किया।

राज्यपाल मिश्र ने पश्चिम बंगाल राज्य स्थापना दिवस की शुभकामना देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सांस्कृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध राज्य है ।

उन्होंने कहा कि साहित्य, कला, संगीत, शिल्प आदि क्षेत्रों में बंगाल का विशिष्ट स्थान है। उन्होंने कहा कि बंगाल बुद्धिजीवियों और क्रांतिकारियों की धरती है, जिसने देश को स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविंद्र नाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी महान विभूतियां दी हैं। राज्यपाल श्री मिश्र ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को स्मरण करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल आज भारत का हिस्सा है तो इसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान है।

पक्षियों पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर पक्षी प्रेमी डॉ. कैलाश चन्द सैनी की कॉफी टेबिल बुक 'पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण' का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भारतीय पक्षियों तथा पर्यावरण पर शोधपूर्ण पुस्तक के लिए लेखक को बधाई दी। लेखक डॉ. सैनी ने बताया कि पुस्तक पक्षी जीवन पर उनके तीन दशक में किये गये शोध का परिणाम है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा से पूर्व शोध एवं संदर्भ अधिकारी डॉ. सैनी की पक्षियों पर यह दूसरी पुस्तक है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर पक्षी प्रेमी डॉ. कैलाश चन्द सैनी की कॉफी टेबिल बुक 'पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण' का विमोचन किया

पैनासिया रिसर्च फाउंडेशन, जयपुर द्वारा हाल ही में प्रकाशित इस पुस्तक में देश-विदेश के 82 फोटोग्राफर्स के 450 से अधिक आकर्षक फोटो सम्मिलित हैं। पुस्तक भारतीय उपमहाद्वीप में मिलने वाले विभिन्न पक्षियों की रोचक गतिविधियों से परिचय कराती है। इसमें शामिल समस्त राज्यों के राज्य पक्षियों का सचित्र विवरण उपयोगिता को बढ़ाता है। इस अवसर पर मुख्य मंत्री के विशेषाधिकारी फारूक आफरीदी, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के निदेशक डॉ. बी.एल. सैनी, विधानसभा के पूर्व उप सचिव प्रकाश चन्द सैनी, पैनासिया रिसर्च फाउंडेशन के निदेशक रामानन्द राठी व पुलकित सैनी उपस्थित थे।

कॉलेज छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू

जयपुर (कासं)। कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को अब घर से कॉलेज आने-जाने का बस किराया मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा कॉलेज में 10 किलोमीटर से अधिक दूरी से आवागमन पर प्रति दिवस 20 रुपए का भुगतान किया जाएगा। यह राशि छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को राहत देने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

मुस्लिम संगठनों ने किया वक्फ बोर्ड पर हंगामा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। जालूपुरा में विधायक आवासों की भूमि को बाग नवाबकल्लन बताते हुए मुस्लिम संगठनों ने इस बेशकीमती जमीन की जेडीए द्वारा की जाने वाली नीलामी रूकवाने की मांग उठाई है। हालांकि वक्फ बोर्ड की मीटिंग में फैसला हुआ है कि इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर और जेडीए प्रशासन को कहकर जमीन की नापजोख करवाई जायेगी और वक्फ न्यायालय में मामला ले जाया जायेगा।

- **जालूपुरा में बाग नवाबकल्लन की भूमि नीलामी और मुस्लिम मुसाफिरखाना की तौलियत कमेटी को भंग करने को लेकर मांग पत्र सौंपा**
- **संगठनों का दावा है कि जालूपुरा में बाग नवाबकल्लन की संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, इसलिए जेडीए द्वारा प्रस्तावित नीलामी को तुरंत रूकवाया जाए**
- **मुस्लिम संगठनों ने बैठक के दौरान हंगामा किया, पुलिस की मौजूदगी में चैयरमैन और सदस्यों से हुई वार्ता**

दरअसल मंगलवार को मुस्लिम परिषद संस्थान, मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन व अन्य अनेक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान वक्फ बोर्ड कार्यालय में बोर्ड बैठक के दौरान मुस्लिम मुसाफिरखाना की तौलियत कमेटी को खत्म करने और नई कमेटी का गठन करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मामला इतना गर्माया कि पुलिस की मौजूदगी में चेयरमैन खानू खां बुधवाली और सदस्यों से संगठनों के प्रतिनिधियों की वार्ता करवानी पड़ी। बोर्ड बैठक के दौरान बोर्ड चैयरमैन खानू खां बुधवाली और सदस्यों को ज्ञापन सौंपकर अवैधानिक तरीके से बनाई गई तौलियत कमेटी को तुरंत खत्म कर नई कमेटी बनाने की मांग रखी। प्रतिनिधिमंडल में मुस्लिम परिषद संस्थान के अध्यक्ष युनूस चौपदार, मुस्लिम प्रोग्रेसिव फैडरेशन के कन्वीनर अब्दुल सलाम जौहर, मुस्लिम महासभा के सैयद साहेब आलम, अल्पसंख्यक विकास संस्था के एडवोकेट असलम, एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष इकरामुद्दीन टीपु, समाजसेवी रफीक खंडेलवी, भुरी भाई व संजु सैफ खान समेत अनेक संगठनों के पदाधिकारी व मौअज्जीज लोग मौजूद रहे। यूनूस चौपदार ने बताया कि बोर्ड बैठक में प्रतिनिधिमंडल की वार्ता के बाद इस मामले मे चर्चा के बाद मुस्लिम मुसाफिरखाना कमेटी की तौलियत खत्म करने पर मुहर लगा दी गई है। इसके अलावा एम.आई. रोड पर स्थित बाल नवाब कल्लन की वक्फ जायदाद पर जेडीए द्वारा नीलामी किए जाने के विरोध में संगठनों के विरोध के चलते बोर्ड ने वक्फ न्यायालय में कार्यवाही करने और जिला कलेक्टर व जेडीए को पत्र लिखकर जमीन की नापजोख करवाने का निर्णय लिया।

अचरावाला में गायत्री महायज्ञ

जयपुर। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में गायत्री चेतना केन्द्र मुरलीपुरा और गायत्री शक्तिपीठ कालवाड़ की ओर से डिग्गी मलुपरा रोड स्थित अचरावाला के रामधाम हनुमान मंदिर में पंच कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। गायत्री शक्तिपीठ ब्रह्मपुरी के दिनेश आचार्य व गायत्री चेतना केन्द्र मुरलीपुरा के डॉ. महेश सैनी ने यज्ञ करवाया।

कोविड काल में विधवा हुईं 53 महिलाओं को सतीश पूनियां ने बनाया आत्मनिर्भर

- **14 महिलाओं को कॉमर्शियल सिलाई मशीन, 17 को गाय, तीन को बकरी, तीन को भैंस और 5 को सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए ट्यूशन फीस की मदद की**
- **पति को खो चुकी रेखा शर्मा की पढाई में मदद की, कड़ी मेहनत करके रेखा ने विकास अधिकारी बनने में सफलता हासिल की**

जयपुर (कासं)। कोविडकाल में विधवा हुई 53 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं आमेर विधायक सतीश पूनियां ने पहल शुरू की है। हीरो मोटोकॉप व नाथ संस्कृति सेवा संस्थान और भामाशाहों के सहयोग से उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को स्वरोजगार व रोजगार से जोड़ने की अभिनव पहल की है, जिससे महिलायें सम्मान के साथ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। आमेर के कूकस में कोविड-19 से प्रभावित परिवारों की विधवा महिलाओं को स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीन व रोजगार के अन्य साधन उपलब्ध करवाकर उन्हें संबल देने का कार्य किया गया। डॉ. पूनियां ने कहा कि, मानवता की तकलीफ में हम सब लोग एक परिवार की तरह एक-दूसरे के सुख-दुख में खड़े रहें। जब कोई तकलीफ में होता है तो हमारी जिम्मेदारी है, फर्ज है कि मदद के लिये आगे आएं और यह कोरोनाकाल में समस्त भारत ने पूरी एकजुटता से मदद के लिये आगे हाथ बढ़ाकर पूरी दुनिया में मिसाल कायम की। संकट में हम किसी की मदद कर अहसान नहीं करते, बल्कि अपना फर्ज पूरा करते हैं।

पूनियां ने कहा कि कोरोनाकाल में हमारे नेता हमें दिल्ली से निर्देश देते थे कि लोगां को भोजन बांटो, देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी कहते थे कि कोई भूखा ना सोये, इसलिये जरूरतमंदों की भोजन, राशन की मदद करो, सबको वैक्सीन के लिये प्रेरित करो। कोरोनाकाल में राजस्थान और देश के करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों को सेवा ही संगठन अभियान के जरिये भोजन, राशन, पानी इत्यादि मदद की, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई। इससे पहले भी हीरो मोटोकॉप के सीएसआर व भामाशाहों के जरिये समय-समय पर आमेर की माता-बहनों को स्वरोजगार से जोड़ने की मदद की गई और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में नाथ संस्कृति सेवा संस्थान की सचिव सरिता योगी व इनकी टीम की बहुत ही सकारात्मक पहल रही।

पूनियां ने कहा कि मैंने अपनी मां को देखा है कि जब जवानी में कोई विधवा हो जाये तो अपने बच्चों को कैसे पालती है, इसलिये मैं उन दिनों को याद करता हूं, मेरी मां ने अपना बेटा खो दिया, अपना पति खो दिया, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और एक छोटे बच्चे को राजनीति में सतीश पूनियां बनाकर बड़ा कर दिया। उस समय तो मां को अभाव लगता होगा, लेकिन आज जब सुनती है, 90 साल से अधिक उम्र की है, समझती भी है, मैं समझता हूं कि मां को कितनी खुशी होती होगी कि उन तकलीफों को दूर करके आज मां के आदेश की पालना करके कितनी मां और बहनों को स्वाभिमान के साथ हम सब मिलकर संबल देने का कार्य कर रहे हैं। सरिता योगी ने बताया कि 14 महिलाओं को कॉमर्शियल सिलाई मशीन व सिलाई से संबंधित कच्ची सामग्री, 17 महिलाओं को गाय, 3 महिलाओं को बकरी, 3 महिलाओं को भैंस, 5 महिलाओं को सरकारी नौकरी की तैयारी हेतु ट्यूशन फीस, 4 किराना स्टोर, एक मटका स्टोर, एक ब्यूटी पार्लर, एक जनरल स्टोर, एक साड़ी स्टोर, एक लैपटॉप का वितरण किया।

'डॉक्टर के परिजनों को 44 लाख रु. मुआवजा दे'

जयपुर, (कासं)। मोटर दुर्घटना मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने सडक़ दुर्घटना में हुई रेजीडेंट डॉक्टर की मौत के मामले में बीमा कंपनी को आदेश दिए हैं कि वह उसके माता-पिता को करीब 44 लाख रुपए का मुआवजा अदा करे। अदालत ने इस राशि पर क्लेम याचिका पेश करने की तिथि से 7 फीसदी ब्याज भी देने को कहा है। अदालत ने यह आदेश डॉ. राकेश शाह और बबीता जैन की क्लेम याचिका पर दिए।

याचिका में कहा गया कि उनका पुत्र अमन शाह एमबीबीएस व इंटर्नशिप करने के बाद मानसरोवर के निजी अस्पताल में आर्थोपेडिक सर्जरी में डीएनबी कोर्स कर रहा था। इस दौरान उसे तीस हजार रुपए मानदेय मिल रहा था। वहीं 21 मार्च, 2019 को वह मोटर साइकिल से एसएमएस अस्पताल से मानसरोवर जा रहा था।

अस्पताल के गेट नंबर 6 के सामने एक कार चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उसकी मोटर साइकिल को टक्कर मार दी। जिसके चलते वह घायल हो गया और 25 मार्च को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वह उनकी इकलौती संतान था। ऐसे में उन्हें क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बीमा कंपनी को 44 लाख रुपए का हर्जाना देने के आदेश दिए हैं।

लंपी रोग से मृत गौवंश का सरकारी आंकड़ा 76 हजार, लेकिन मुआवजा मात्र 42 हजार को; गौशालाएं वंचित : राजेन्द्र राठौड़

5 जुलाई को बीकानेर में लंपी मामले में पोल खोल अभियान तथा जुलाई के दूसरे सप्ताह में झुंझनूं में कर्जमाफी को लेकर किसान सम्मेलन होगा : नेता प्रतिपक्ष

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को लंपी वायरस, किसान कर्जमाफी और ओल्ड पेंशन स्कीम पर प्रेसवार्ता को संबोधित किया। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार की बजट घोषणा में लंपी वायरस से मरने वाले गोवंश के मालिक पशुपालकों को 40 हजार रूपए मुआवजा देने में और गोशाला प्रबंधकों से वादाखिलाफी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लंपी रोग से मृत गौवंश का सरकारी आंकड़ा 76 हजार हैं, लेकिन मुआवजा मात्र 42 हजार को दे रहे हैं, गौशालाएं अब भी वंचित है।

राठौड़ ने कहा कि आगामी 5 जुलाई को बीकानेर में भाजपा गहलोत सरकार के खिलाफ 'पोल खोल अभियान' शुरू करेगी। वहीं किसान कर्जमाफी के खिलाफ जुलाई के

नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़

दूसरे सप्ताह में झुंझनूं प्रशासनिक जिले में सम्मेलन आयोजित होगा। राठौड़ ने कहा कि सरकार ने 15.67 लाख पशुधन को संक्रमित

- **ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर कर्मचारियों से अंशदान का 12 प्रतिशत ब्याज सहित जमा कराने का आदेश मनमाना : राठौड़**

और 76 हजार पशुधन की मौत के आंकडे जारी किए थे, वहीं सरपंच संघ की ओर से 5 लाख 13 हजार पशुधन की मौत का ज्ञापन सौंपा गया था। इसके बावजूद सरकार ने सरपंच संघ और खुद की ओर से बताए गए आंकड़ों को भी झूठा साबित कर महज 42 हजार पशुपालकों को ही 40 हजार का मुआवजा देने की घोषणा बजट मं की थी। वहीं दूसरी ओर सरकार ने गौशाला में मरी गायों का मुआवजा देने से मना कर दिया जो कि गौशाला प्रबंधकों से पूरी तरह से धोखा और दोहरा चरित्र है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा को 4 माह पूरे होने को हैं, लेकिन सरकार अभी तक पशुपालकों को दिए जाने वाले मुआवजे के लिए बीमा कंपनी का चयन नहीं कर पाई।

राठौड़ ने कहा कि किसान कर्जमाफी के मामले में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र और बजट घोषणा सभी को झूठा साबित कर दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दिसंबर 2018 तक के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, शेड्यूल बैंकों और आर.आर.बी. के तीन लाख 49 हजार 257 किसानों की एनपीए राशि 6 हजार 18 करोड 93 लाख रूपए थी। जिसमें पांच हजार 638 करोड 47 लाख रूपए का ऋण माफ होना था, लेकिन कर्ज माफ नहीं होने से इस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगने से यह बढ़कर 12 हजार करोड़ को पार कर गई। सरकार ने खुद स्वीकारा है कि इन 4 सालों में 19 हजार 422 किसानों की जमीनें नीलाम हुई है।

ओल्ड पेंशन स्कीम के संबंध में राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में प्रदेश की सरकारी संस्थाओं, जिसमें विद्युत उत्पादन निगम, विद्युत प्रसारण और वितरण निगत, रीको, आरटीडीसी, आरएसएमएमएल विश्वविद्यालयों एंव अकादमियों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का दावा किया था। लेकिन सरकार की ओर अब इस पेंशन स्कीम में नया पेंच लगाया जा रहा है। जिसमें पेंशन का लाभ लेने से पहले कर्मचारी को राज्य सरकार के अंशदान का 12 प्रतिशत ब्याज सहित 15 जुलाई से पहले जमा कराना है। यदि कर्मचारियों द्वारा यह पैसा नहीं जमा कराया गया तो उन्हे ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।